संख्या–656 / XV–1 / 1(42) / 2007

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 07 जनवरी, ~~दिसम्बर~~, 2007

विषयः– **कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति बछिया को पुरुस्कृत करने की योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1000 / नि0 / बजट / कृ0ग0पुर0 / 2007–08 दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनागत पक्ष में कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति बछिया को पुरुस्कृत करने की योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत बजट प्राविधान **रूपया 21.28 लाख (रूपया इक्कीस लाख अठाईस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्ताव में बछियों के चयन हेतु विकासखण्ड / जनपद एवं राज्य स्तर पर गठित समिति के निर्णयानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद के अर्न्तगत किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 में धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाय तथा लाभार्थियों की सूची पूर्ण विवरण सहित शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

(3) उक्त धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर परचेज रुल्स, डी0जी0एस0 एण्ड0 डी0 अथवा टैण्डर विषयक नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को प्रपत्र बी0 एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जाय।

(5) योजना में उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व चयनित बछियों एवं उनके स्वामियों तथा आयोजकों के फोटोग्राफ/वीडियाग्राफी आवश्यक रुप से तैयार करा लिये जायें।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–102–पशु और भैंस विकास–07–कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति बछिया को पुरुस्कत करने की योजना –42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 411(P)/XXVII–4/2007 दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 में जारी उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या–656 (1)/XV–1/2007–तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–4।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

07010800्1